


अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर को सीकर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है।

राजस्व ग्रामों के नाम

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम
1.	सीकर	26.	चैनपुरा
2.	ढाका की ढाणी	27.	पलवास
3.	सबलपुरा	28.	कंवरपुरा
4.	जगमालपुरा	29.	रामपुरा
5.	भैरूपुरा	30.	संतोषपुरा
6.	भादवासी	31.	पुरा की ढाणी
7.	शिवसिंहपुरा	32.	बालाजी भैरुजी नगर
8.	कटराथल	33.	घोराणा
9.	कुडली	34.	नला का बालाजी
10.	दादली	35.	चारण का बास
11.	हरदयालपुरा	36.	देवलानाडा
12.	समर्थपुरा	37.	आसपुरा
13.	नानी	38.	बलरामपुरा
14.	ढाणी नाथावतान	39.	भढ़ाढर
15.	चन्दपुरा	40.	चैलासी
16.	ढाणी सालिमसिंह	41.	झीगर छोटी
17.	बजाज नगर	42.	किरडोली
18.	देवीपुरा	43.	शास्त्री नगर
19.	खिचड़ों का बास	44.	झीगर बडी
20.	दुला की ढाणी	45.	बाजोर
21.	दासा की ढाणी	46.	देवगढ़
22.	राधा किशनपुरा	47.	हीरामल नगर
23.	रामू का बास	48.	मलकेडा
24.	गोकुलपुरा	49.	हर्ष
25.	दुजोद	50.	पीपल्यानगर

राज्यपाल की आज्ञा से


 (मनीष रोयल)
 संयुक्त शासन सचिव